न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपीलांट

1. देवीया पुत्र नवीया
2. रूपा पुत्र नवीया फौत के कायम मुकाम–
   2/1 नाथूराम पुत्र रूपा
3. मोरकी देवी पत्नी पोलाराम जातियान चौधरी, निवासी सरदारगढ खेडा, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. हरिराम पुत्र नाथीया, जाति चोधरी, निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर।
2. श्रीमती रामू बेवा गणेशाराम
3. पेमाराम पुत्र गणेशा
4. भीमाराम पुत्र गणेशा
5. ताराराम पुत्र गणेशा
6. शंकरलाल पुत्र गणेशा
7. भंवरलाल वल्द कोलीया
8. मौरकी पत्नी स्व. कोलीया
9. हंसिया पुत्र हकमीया
10. ओम्बा पुत्र हकमीया
11. मोडा पुत्र हकमीया, जातियान चौधरी, निवासीगण सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2012 हरिराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय

राजस्व ... धिकारी
पाली

में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए, अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा मौका रिर्पोट के आधार पर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 27.04.2015 को तलबी हेतु रखी गई थी, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 25.06.2015 नियत की गई किन्तु पत्रावली को इसी बीच दिनांक 19.05.2015 को लोक अदालत कैम्प सामतीपुरा में रखकर बिना अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर नहीं थे। एवं न ही अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 द्वारा कोई राजीनामा लोक अदालत प्रस्तुत किया गया था। लोक अदालत कैम्प में राजीनामे एवं आपसी सहमति से निर्णय पारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सरदारगढ के खसरा नंबर 441 रकबा 1.20 बीघा की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 438, 437, 439 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प सामतीपुरा मे पारित किया गया है जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प में आपसी सहमति एवं राजीनामे से निर्णय पारित किये जाने के प्रावधान है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2012 हरिराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली